पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

निगरानी संख्या 32/14 तारीख रजू– 11/12/2014

1– धूडया पुत्र कास्या जाति जाट उम्र 62 साल पेशा काश्त निवासी गोठड़ा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर ———प्रार्थी

बनाम

1– ग्राम पंचायत गोठड़ा जरिये संरपच ग्राम पंचायत गोठड़ा तहसील खण्डार
2– उप स्वास्थ्य केन्द्र गोठड़ा जरिये चिकित्सा अधिकारी चिकित्सालय खण्डार।
3– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी0एम0एच0ओ0) सवाई माधोपुर

————अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक– 25/11/16**

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत गोठडा के पटटा संख्या 13 दिनांक 05/07/07 के विरूद्ध प्रस्तुत की है तथा जारी किये उक्त पटटे को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई अप्रार्थीगण वाद तामील अनुपस्थित उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई व अदालत मातहत की पत्रावली वाद नोटिस पश्चात् भी प्राप्त नहीं । जिस सन्दर्भ में वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय को उपलब्ध करवाई गई है। उनके आधार पर बहस सुन ली जावे। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा दिया गया है उस भूमि पर 60 वर्ष से प्रार्थी व प्रार्थी के वारीसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त पट्टा देने में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी नियम का पालना नहीं किया गया है। उपस्वास्थ्य केन्द्र द्वारा भूमि आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिना प्रार्थना पत्र के ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वाद आराजीयात का पट्टा उपस्वास्थय केन्द्र को दिया गया है। पट्टा देने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कोई आपत्ति नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। उक्त पट्टा संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उपस्वास्थय केन्द्र का भवन पहले से ही बना हुआ है और उसमें वर्तमान में भी उपस्वास्थय केन्द्र संचालित है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर उक्त पट्टा खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस सुनने उस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि दिनांक 05/07/07 को ग्राम पंचायत की बैठक में उक्त वाद आराजीयात उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव लिया गया था। जिस सन्दर्भ में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात पर 60 वर्ष पुराना कब्जा होना बताया गया है। लेकिन प्रार्थी द्वारा कब्जा संबंधित कोई राजस्व अभिलेख इस न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। जिससे सिद्ध होता है कि प्रार्थी व प्रार्थी के वारिसान का उक्त वाद आराजीयात पर 60 वर्ष पुराना कब्जा काश्त हो। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 13 निर्णय दिनांक 05/07/07 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2016 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर